दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 13.03.2014 का कार्यवृत्त

समय : अपराह्न 03.30 बजे
स्थान : कमेटी हाल
उपस्थिति :

1.	प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ0 एम0 खान	सदस्य
3.	प्रो0 सुरेन्द्र दूबे	सदस्य
4.	प्रो0 फिरतू राम	सदस्य
5.	प्रो0 जनार्दन	सदस्य
6.	डॉ0 श्रीमती शोभा गौड़	सदस्य
7.	डॉ0 चन्द्रशेखर	सदस्य
8.	प्रो0 एम0सी0 गुप्ता	सदस्य
9.	डॉ0 अजय सिंह	सदस्य
10.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
11.	डॉ0 रामहित त्रिपाठी	सदस्य
12.	डॉ0 रमेश बाबू सोलंकी	सदस्य
13.	श्री एस0के0 शुक्ल, कुलसचिव	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत एवं अभिवादन किया।

तत्पश्चात् बैठक में वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक : 12.03.2014 के निर्णयों पर विचार किया गया।

विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने वित्त समिति की बैठक दिनांक : 12.03.2014 के निर्णयों को स्वीकार किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(एस0के0शुक्ल)
कुलसचिव एवं सचिव
कार्य परिषद्

(प्रो0 अशोक कुमार)
कुलपति एवं अध्यक्ष
कार्य परिषद्

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.05.2014 की कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 3.00 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थिति

1.	प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ0 एम0 खान	सदस्य
3.	प्रो0 सुरेन्द्र दुबे	सदस्य
4.	प्रो0 फिरतू राम	सदस्य
5.	डॉ0(श्रीमती) शोभा गौड़	सदस्य
6.	डॉ0. चन्द्र शेखर	सदस्य
7.	प्रो0 एम0सी0गुप्ता	सदस्य
8.	डॉ0 अजय सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
10.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 रामहित त्रिपाठी	सदस्य
12.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 रमेश बाबू सोलंकी	सदस्य
14.	श्री एस0के0शुक्ल	सचिव

बैठक प्रारम्भ होने के पूर्व कुलपति जी ने कार्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि विश्वविद्यालय के शिक्षको, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके अथक प्रयास से वार्षिक परीक्षा 29 मार्च, 2014 से प्रारम्भ हो गयी है और फाइनल क्लास के परिणाम घोषित हो रहे है ।

बैठक में श्री पी0एन0सिंह, कार्यवाहक वित्त अधिकारी उपस्थित रहे।

कार्यवाही :

बैठक के प्रारम्भ होते ही कार्य परिषद् सदस्य प्रो0 सुरेन्द्र दुबे ने यह जिज्ञासा की कि कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक में कितने एजेण्डा बिन्दु हो सकते हैं ? परिषद् के सदस्य प्रो0 यू0पी0 सिंह ने सूचित किया कार्यसूची उन्हें आज ही प्राप्त हुई है, जिसके अध्ययन हेतु समय नहीं उपलब्ध हो पाया है। प्रकरण में विचार–विमर्श हुआ तथा यह निश्चित हुआ कि आज मात्र तात्कालिक

महत्व के राष्ट्र गौरव परीक्षा प्रकरण पर विचार कर बैठक adjourn कर दी जाय। तदानुसार कार्यसूची के मात्र एजेण्डा बिन्दु 1 (ठ) पर विचार हुआ।

1(ठ) परिषद ने बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम, बी0एस–सी0 (कृषि) के ऐसे छात्र जो तृतीय वर्ष उत्तीर्ण हो चुके है, लेकिन राष्ट्र गौरव की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं या परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाये है, के प्रकरणों पर अध्यादेश के प्राविधानों के दृष्टिगत विचार किया।

परिषद् के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र गौरव के अध्यादेश के प्राविधान सूचित किये गये। यह पाया गया कि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व विद्यार्थियों को "राष्ट्र गौरव" परीक्षा qualify करना आवश्यक है। चर्चा में यह भी पाया गया कि कुछ विद्यार्थी प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में उपलब्ध अवसरों का प्रयोग न करके मात्र सीधे अन्तिम वर्ष में इस प्रश्नपत्र हेतु आवेदन कर रहे हैं। चर्चा में मत आया कि स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा करा ली जाये, जिन्होंने राष्ट्र गौरव की परीक्षा अभी तक qualify नहीं की है। विचार विनिमय में यह तथ्य भी आया कि अध्यादेशों (Ordinances) में इस प्रकार के अतिरिक्त अवसर की स्वीकृति की व्यवस्था नहीं है। बैठक में पर्यावरण विषय के qualifying paper की व्यवस्था मा0 उच्चतम् न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में करने विषयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र के सन्दर्भ में विचार विनिमय हुआ तथा अध्यादेशों को संशोधित करने की व्यवस्था पर भी विचार विनिमय हुआ।

विभिन्न पहलुओं तथा विधिक स्थिति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि जब तक राष्ट्र गौरव विषय से सम्बन्धित अध्यादेश संशोधित नहीं किये जाते हैं, तब तक इस विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को परीक्षा qualify करने हेतु अतिरिक्त अवसर नहीं प्रदान किया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि पर्यावरण शिक्षा के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों की अनुपालना में कार्यवाही करते हुए उक्त (राष्ट्र गौरव) के अध्यादेश संशोधित करने की कार्यवाही विहित प्रक्रियानुसार प्रारम्भ की जाय, जिसमें राष्ट्र गौरव परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को Backlog को clear करने हेतु one time एक अवसर देने का प्राविधान भी सम्मिलित कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक अन्य प्रकरणों पर चर्चा किये गये वगैर adjourn हुई।

(एस0के0शुक्ल)
कुलसचिव एवं सचिव, कार्य परिषद

(प्रो0 अशोक कुमार)
कुलपति एवं अध्यक्ष, कार्य परिषद

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर

कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 10.07.2014 का कार्यवृत्त

समय : अपरान्ह 03.30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति/अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुरेन्द्र दूबे	सदस्य
3.	प्रो0 फिरतू राम	,,
4.	डॉ0(श्रीमती) सुनीता मुर्मू	,,
5.	डॉ0 रुसी राम महानन्दा	,,
6.	प्रो0 एम0सी0गुप्ता	,,
7.	डॉ0 अजय सिंह	,,
8.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	,,
9.	डॉ0 रामहित त्रिपाठी	,,
10.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	,,
11.	डॉ0 सतीश कुमार	,,
12.	श्री एस0के0शुक्ल	कुलसचिव/सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् निवर्तमान सदस्य श्री विद्या भूषण सिंह, रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, बुद्ध विद्यापीठ महाविद्यालय, नौगढ़ सिद्धार्थनगर, डॉ0 (श्रीमती) शोभा गौड, उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ0 चन्द्र शेखर, उपाचार्य, विधि विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया एवं नवनामित सदस्य डॉ0 सी0एस0मिश्र, उपाचार्य, संस्कृत विभाग, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पी0जी0 कालेज, आनन्दनगर, महराजगंज, डॉ0 (श्रीमती) सुनीता मुर्मू, उपाचार्य, अंग्रेजी विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, डॉ0 रुसीराम महानन्दा, उपाचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का स्वागत करते हुए उनसे सहयोग की अपेक्षा की।

तत्पश्चात बैठक में डॉ0 (श्रीमती) उषा सिंह, उपाचार्य, ललित कला एवं संगीत विभाग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आवेदन पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2014 एवं उसके साथ संलग्न श्री कुलाधिपति महोदय के आदेश संख्या ई–7914/जी0एस0 दिनांक 01.10.2013 एवं इसके विरूद्ध डॉ0 भारत भूषण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित

याचिका संख्या– 61308/2013 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2014 के अनुसार डॉ0 (श्रीमती) उषा सिंह एवं डॉ0 भारत भूषण, उपाचार्य, ललित कला एवं संगीत विभाग को कार्यपरिषद द्वारा व्यक्तिगत रुप से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक अभिकथनों को सुना व उनके लिखित प्रत्यावेदनों का अवलोकन किया।

डॉ0 उषा सिंह द्वारा अपने कथन में माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश दिनांक 01.10.2013 में दिये गये निर्देश एवं इन्स्ट्रक्टर से प्रवक्ता पद नाम दिये जाने संबंधी शासनादेश सं0 : 3560/सत्तर–4–98–2(9)/96 दिनांक 17.10.1998 के आलोक में अपनी नियुक्ति तिथि दिनांक 29.11.1998 को आधार मानते हुए स्वयं को डॉ0 भारत भूषण से वरिष्ठ मानकर कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

डॉ0 भारत भूषण ने कहा कि वे 1983 से इन्स्ट्रक्टर पद पर कार्यरत हैं और शासनादेश दिनांक 17.10.1998 के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण किया जाय। उन्होंने विश्वविद्यालय में दिनांक 17.10.1998 से विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत होने का उल्लेख अपने अभिकथन में किया।

सूच्य है कि शासनादेश दिनांक 17.10.1998 का क्रियान्वयन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2002 में किया गया, उसी आधार पर डॉ0 भारत भूषण को प्रवक्ता नामिनक्लेचर प्रदान किया गया तथा दिनांक 17.10.1998 से प्रवक्ता को देय वेतन का भुगतान माननीय कार्यपरिषद द्वारा किया गया है।

कार्यपरिषद ने डॉ0 उषा सिंह एवं डॉ0 भारत भूषण को सुनने, सम्बन्धित लिखित अभिकथनों का अवलोकन करते हुए कुलाधिपति महोदय द्वारा पारित आदेश संख्या ई–7914/जी0एस0 दिनांक 01.10.2013 तथा माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 61308/2013 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2014 के अनुपालन में निर्देशानुसार सम्यक् विचारोपरान्त यह पाया कि इन्स्ट्रक्टर से प्रवक्ता पद नाम दिये जाने संबंधी शासनादेश दिनांक 17.10.1998 उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 50(6) से अच्छादित नहीं है और न ही वह परिनियम का अंग बना है।

विस्तृत विचार–विमर्श उपरान्त कार्यपरिषद ने डॉ0 (श्रीमती) उषा सिंह को डॉ0 भारत भूषण से वरिष्ठ घोषित करने का निर्णय लिया।

(एस0के0शुक्ल)
कुलसचिव एवं सचिव
कार्य परिषद्

(प्रो0 अशोक कुमार)
कुलपति एवं अध्यक्ष
कार्य परिषद्

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 26.07.2014 की कार्यवृत्त

समय : पूर्वान्ह 11.30 बजे
स्थान : कनेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुरेन्द्र दूबे	सदस्य
3.	प्रो0 एम0सी0गुप्ता	सदस्य
4.	प्रो0 फिरतू राम	सदस्य
5.	प्रो0 जनार्दन	सदस्य
6.	डॉ0(श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	डॉ0 रुसी राम महानन्दा	सदस्य
8.	डॉ0 अजय सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
10.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 रामहित त्रिपाठी	सदस्य
12.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
13.	डॉ0 सी0एस0 मिश्र	सदस्य
14.	श्री जगदम्बिका पाल	सदस्य
15.	डॉ0 सतीश कुमार	सदस्य
16.	श्री एस0के0शुक्ल	सचिव

बैठक में वित्त अधिकारी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार किया गया–

बिन्दु सं0	प्रस्ताव एवं निर्णय
1.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 03.02.2013 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक : 03.02.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
2.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक :03.02.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् अपनी बैठक दिनांक :03.02.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
3.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 18.03.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक : 18.03.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।

4.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 18.03.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक : 18.03.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
5.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 15.05.2013 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक : 15.05.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
6.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 15.05.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक : 15.05.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
7.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 08.08.2013 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक : 08.08.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
8.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 08.08.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक : 08.08.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
9.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 31.08.2013 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक : 31.08.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
10.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 31.08.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक : 31.08.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
11.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 13.11.2013 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक : 13.11.2013 के कार्यवृत्त की

	सम्पुष्टि की।
12.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 13.11.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 13.11.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा बैठक में माननीय सदस्य प्रो0 यू0पी0 सिंह ने वर्ष 2013 में सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठकों में उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु संस्तुत अभ्यर्थियों, जिनके लिफाफे अभी तक नहीं खोले गये, उन्हें परिनियमों के सन्दर्भ सहित खोले जाने की अपेक्षा की।
13.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 21.12.2013 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 21.12.2013 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
14.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 21.12.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 21.12.2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
15.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 03.01.2014 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 03.01.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
16.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 03.01.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 03.01.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
17.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 25.02.2014 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 25.02.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
18.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 25.02.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् अपनी आकस्मिक बैठक दिनांक 25.02.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
19.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 03.01.2014 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।

	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 13.03.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
20.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 13.03.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 13.03.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
21.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 28.05.2014 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 28.05.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
22.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 28.05.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 28.05.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
23.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 10.07.2014 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार। कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 10.07.2014 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।
24.	कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 10.07.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण पर विचार। कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक : 10.07.2014 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया।
25.	वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 19.02.2013 की संस्तुतियों पर विचार करना। कार्य परिषद् वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 19.02.2013 की संस्तुतियों से अवगत हुई एवं स्वीकृति प्रदान की।
26.	वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 23.08.2013 की संस्तुति पर विचार करना। कार्य परिषद् ने वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 23.08.2013 की संस्तुतियों से अवगत हुई एवं स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया कि बिन्दु संख्या 4 एवं 10(1) में लिये गये निर्णय को वित्त समिति की तिथि से लागू किया जाय।
27.	वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 11.11.2013 की संस्तुति पर विचार करना।

	कार्य परिषद् वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 11.11.2013 की संस्तुतियों से अवगत हुई एवं वित्त समिति में लिये गये निर्णय पर स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्णय लिया गया कि बिन्दु संख्या– 1(i) को वित्त समिति के निर्णय की तिथि से ही लागू किया जाय।
28.	वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 11.12.2013 की संस्तुति पर विचार करना। कार्य परिषद् वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 11.12.2013 की संस्तुतियों से अवगत हुई एवं वित्त समिति में लिये गये निर्णयों पर स्वीकृति प्रदान की।
29.	वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 06.02.2014 की संस्तुति पर विचार करना। कार्य परिषद् वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 06.02.2014 की संस्तुतियों से अवगत हुई एवं वित्त समिति में लिये गये निर्णयों पर स्वीकृति प्रदान की।
30.	कार्य परिषद् ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31 (3) (सी) के अन्तर्गत नियुक्त 11 शिक्षकों के प्रकरण में कार्य परिषद् दिनांक : 12.06.2011 की बैठक में संकल्प संख्या–37 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(3)(सी) के अन्तर्गत, विनियमित किये गये 11 शिक्षकों के प्रकरण पर कुलपति जी द्वारा दिनांक : 28.09.2013 को गठित समिति की आख्या पर विचार किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 31(3)(सी) के अन्तर्गत पूर्व में विनियमित किये गये 11 शिक्षकों के प्रकरण पर कुलपति जी द्वारा दिनांक : 28.09.2013 को गठित समिति की आख्या को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि इन शिक्षकों की सेवायें नियमानुसार स्थायी करते हुए तद्नुसार उन्हें देय सभी लाभ नियमानुसार दिये जॉय तथा असिस्टेण्ट प्रोफेसर के पदों का जो विज्ञापन प्रकाशन हेतु भेजा गया है, उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करते हुए संशोधित विज्ञापन के प्रकाशन की कार्यवाही नियमानुसार किया जाय। अग्रेतर परिषद् ने समिति की आख्या में कार्यवाही हेतु इंगित बिन्दुओं पर भी नियमानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया।
31.	कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र संख्या ई 4101/7 जीएस/2000 VI दिनांक 16.05.2014 जो विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.06.2000 में विश्वविद्यालय के छात्रों से ली जाने वाली शुल्क वृद्धि संबंधी अध्यादेश के अनुमोदन के संबंध में है से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
32.	श्री हेमशंकर बाजपेयी, उपाचार्य– वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आचार्य पद पर कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति से सम्बन्धित महामहिम कुलाधिपति द्वारा निर्गत आदेश संख्या ई–3755/जी0एस0 दिनांक 21 मई, 2013

	में पारित आदेश से अवगत होना कार्य परिषद् श्री हेमशंकर वाजपेयी, उपाचार्य– वाणिज्य विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आचार्य पद पर कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति से सम्बन्धित महामहिम कुलाधिपति द्वारा निर्गत आदेश संख्या ई–3755/जी0एस0 दिनांक 21 मई, 2013 में पारित आदेश से अवगत हुई तथा निर्णय लिया गया कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के सचिव के उक्त पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत आचार्य पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय। कार्य परिषद् श्री बाजपेयी द्वारा विषयगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में योजित वाद से भी अवगत हुई।
33.	कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र संख्या ई–4135/7 जीएस/2012 परिनियम दिनांक 16.05.2014 राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों का ज्येष्ठता निर्धारण संबंधी परिनियम का समावेश के संबंध में है से अवगत होना। कार्य परिषद् कुलाधिपति महोदय के सचिव के पत्र संख्या ई–4135/7 जीएस/2012 परिनियम दिनांक 16.05.2014 राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के प्राध्यापकों का ज्येष्ठता निर्धारण संबंधी परिनियम का समावेश करने के संबंध में है, से अवगत हुई।
34.	डॉ0 संगीता पाण्डेय, उपाचार्य– समाजशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आचार्य पद पर कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति से सम्बन्धित महामहिम कुलाधिपति द्वारा जारी आदेश संख्या ई–3940/जी0एस0 दिनांक 27 मई, 2013 में पारित आदेश से अवगत होना । कार्य परिषद् डॉ0 संगीता पाण्डेय, उपाचार्य– समाजशास्त्र विभाग दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आचार्य पद पर कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति से सम्बन्धित कुलाधिपति महोदय के सचिव द्वारा जारी आदेश संख्या ई–3940/जी0एस0 दिनांक 27 मई, 2013 में पारित आदेश से अवगत हुई तथा निर्णय लिया गया कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के सचिव के उक्त पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत आचार्य पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय। कार्य परिषद् ~~श्री बाजपेयी~~ डॉ0 संगीता पाण्डेय द्वारा विषयगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में योजित वाद से भी अवगत हुई।
35.	डॉ0 श्रीमती मालविका श्रीवास्तव, उपाचार्य– वनस्पतिविज्ञान विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आचार्य पद पर कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति से सम्बन्धित महामहिम कुलाधिपति द्वारा जारी आदेश संख्या ई–3849/जी0एस0 दिनांक मई

22 2013 में पारित आदेश से अवगत होना

डॉ0 श्रीमती मालविका श्रीवास्तव, उपाचार्य– वनस्पतिविज्ञान विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के आचार्य पद पर कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति से सम्बन्धित महामहिम कुलाधिपति द्वारा जारी आदेश संख्या ई–3849/जी0एस0 दिनांक मई 22, 2013 में पारित आदेश से अवगत हुई तथा निर्णय लिया गया कि महामहिम कुलाधिपति महोदय के सचिव के उक्त पत्र में दिये गये निर्देश के अनुपालन में कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत आचार्य पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाकर प्रोन्नति के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाय। कार्य परिषद् श्रीमती मालविका श्रीवास्तव द्वारा विषयगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में योजित वाद से भी अवगत हुई।

36. श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं0 : 2481/7–जी0एस0/ 2014 दिनांक 22.04.2014 जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बन्धित प्रथम परिनियमावली में 16 विषयों/पाठ्यक्रमों को समाहित करने हेतु दिनांक 11.03.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होना।

कार्य परिषद् श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं0 : 2481/7–जी0एस0/ 2014 दिनांक 22.04.2014, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से सम्बन्धित प्रथम परिनियमावली में 16 विषयों/पाठ्यक्रमों को समाहित करने हेतु दिनांक 11.03.2014 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त से सम्बन्धित है, अवगत हुई।

37. श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं0 : 4108/7 जी0एस0/2013–I दिनांक 16.05.2014 जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित बैचलर आफ नर्सिंग (बेसिक) एवं बैचलर आफ नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) पाठ्य से सम्बन्धी अध्यादेश एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति एवं नर्सिंग, फार्मेसी अस्पताल (हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) के नये विभाग तथा विषय विज्ञान संकाय के अन्तर्गत परिनियम में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में है, से अवगत होना तथा उक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य परिषद् की बैठक 08.08.2013 के बिन्दु संख्या – 1 (ग) द्वारा लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए उक्त पाठ्यक्रमों को विज्ञान संकाय के स्थान पर औषधि संकाय के अन्तर्गत परिनियमावली में समाहित करने की अनुमति देने पर विचार।

कार्य परिषद् श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव के पत्र सं0 : 4108/7 जी0एस0/2013–I दिनांक 16.05.2014 से अवगत हुई तथा संकल्प पारित किया कि फार्मेसी, अस्पताल प्रशासन (हास्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) तथा नर्सिंग विषय के नये विभागों/विषयों को औषधि संकाय के अन्तर्गत परिनियमावली में समाहित करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय। उक्त विषयों के अध्यादेश तथा पाठ्यक्रम भी नियमानुसार विहित प्रक्रिया अनुसार तैयार कर उन पर सक्षम

	प्राधिकारी का शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही भी की जाय।
38.	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1366 सत्तर–1–2013–16(114) 2010 टी0सी0 दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2010 (मुख्य विनियम) के अनुलग्नक की धारा– 6.1.0 एवं 6.0.2 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में है, से अवगत होना कार्य परिषद् विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 : 1366/सत्तर–1–2013–16(114)/2010 टी0सी0 दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2010 (मुख्य विनियम) के अनुलग्नक की धारा– 6.1.0 एवं 6.0.2 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में है, से अवगत हुई तथा परिनियमावली में सम्मिलित करने का संकल्प पारित किया। परिषद् ने निर्देशित किया कि इस सम्बन्ध में विहित प्रक्रियानुसार अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
39.	विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग–1 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 144/सत्तर–1–2014–16(69)2010 दिनांक 25 अप्रैल 2014 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 314/79 वि. –1–14–1(क)–1–2014 दिनांक 28 फरवरी 2014 जो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 से सम्बन्धित है, से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
40.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, के पत्र संख्या 1864/सत्तर –2–2013–16(246)/2010 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 जो सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने के संबंध में विचार। कार्य परिषद् प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, के पत्र संख्या 1864/सत्तर –2–2013–16(246)/2010 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 जो सहायता प्राप्त अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने के संबंध में है, से अवगत हुई तथा निर्णय लिया गया कि जिस तरह अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों पर मानदेय के आधार पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिये जाने की व्यवस्था उक्त शासनादेश में की गयी है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय में भी रिक्त शिक्षकों के पदों पर सेवानिवृत्त शिक्षकों से मानदेय के आधार पर नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए तथा विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम की व्यवस्थाओं की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अध्यापन कार्य लिया जाय।
41.	विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 377/सत्तर–1–2013–16(114)/2010 दिनांक : 03 दिसम्बर, 2013 जो विश्वविद्यालयों एवं

	महाविद्यालयों में शिक्षक एवं अन्य शैक्षणेत्तर स्टाफ संवर्गों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता सम्बन्धी नियमन तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत मानकों के व्यवस्थापन के लिए आवश्यक उपायों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत नियमन, 2010 के प्राविधानों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में है, से अवगत होना। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
42.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली का पत्रांक संख्या एफ0–1–6/2012 (पीएस) दिनांक 07 जून 2013 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के अध्यापकों को अध्ययन अवकाश के गाइड लाइन पर विचार। कार्य परिषद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली का पत्रांक संख्या एफ0–1–6/2012 (पीएस) दिनांक 07 जून 2013 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के अध्यापकों को अध्ययन अवकाश के गाइड लाइन को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि इसे परिनियम में यथास्थान स्थापित करने के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाय।
43.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0 : मि0सं0 16–1/2008 (राजभाषा) दिनांक 07 मार्च, 2014 जो विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिन्दी में तैयार करने सम्बन्धी है, के अनुसार विश्वविद्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय की स्थापना से सम्बन्धित है, पर विचार। कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं0 : मि0सं0 16–1/2008 (राजभाषा) दिनांक 07 मार्च, 2014 जो विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिन्दी में तैयार करने सम्बन्धी है, के अनुसार विश्वविद्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय लिया कि कार्य परिषद् के माननीय सदस्य प्रो0 सुरेन्द्र दुबे हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय स्थापित करने के सम्बन्ध में अन्य स्थानों से पूरी जानकारी प्राप्त कर अवगत करायें, ताकि विश्वविद्यालय में हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय की स्थापना की जा सके। परिषद् ने उक्त कार्य हेतु प्रो0 सुरेन्द्र दुबे को समन्वयक नियुक्त करने का भी निर्णय लिया।
44.	कैरियर एडवान्समेन्ट योजना के अन्तर्गत यू0जी0सी0 के पत्र संख्या एफ–3–82/2009 (पीएस) दिनांक 28 अप्रैल 2014 से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। परिषद् की बैठक में माननीय सदस्य प्रो0 यू0पी0 सिंह ने वर्ष 2013 में सम्पन्न हुई चयन समिति की बैठकों में उपाचार्य से आचार्य पद पर प्रोन्नति हेतु संस्तुत अभ्यर्थियों, जिनके लिफाफे अभी तक नहीं खोले गये, उन्हें परिनियमों के सन्दर्भ सहित खोले जाने की अपेक्षा की। परिषद् को यू0जी0सी0 से प्राप्त पत्र दिनांक 28.04.2014 से अवगत कराया गया। कार्य परिषद् ने प्रकरण का प्रशासनिक दृष्टिकोण से परीक्षण कराने का निर्णय लिया।
45.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 03.02.2013 के बिन्दु संख्या 9 द्वारा प्रो0 एस0एस0 वर्मा

	के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार महामहिम कुलाधिपति महोदय के विशेष कार्याधिकारी (विधि) के पत्र सं0 342 जी0एस0 7–जी0एस0–Miss. दिनांक 10.01.2013 में दिये गये निर्देशानुसार गठित अनुशासनिक समिति की आख्या पर विचार। कार्य परिषद् अनुशासनिक समिति की आख्या के बिन्दु संख्या : 1–6 को यथावत स्वीकार किया। बिन्दु–7 चूँकि पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित है, अतः परिषद् ने निर्णय लिया कि अभियोग के परिणाम के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार की जाय।
46.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 03.02.2013 के बिन्दु संख्या 10, 11 एवं 12 द्वारा प्रो0 राजेन्द्र सिंह–प्राणिविज्ञान विभाग, प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय–वाणिज्य विभाग एवं प्रो0 अजय कुमार श्रीवास्तव– प्राणिविज्ञान विभाग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार महामहिम कुलाधिपति महोदय के विशेष कार्याधिकारी (विधि) के पत्र सं0 393/जी0एस0/ 7–जी0एस0 (68)/2012 दिनांक 14.01.2013 में दिये गये निर्देशानुसार गठित अनुशासनिक समिति की आख्या पर विचार। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक : 03.02.2013 के बिन्दु संख्या 10, 11 एवं 12 द्वारा प्रो0 राजेन्द्र सिंह–प्राणिविज्ञान विभाग, प्रो0 विनय कुमार पाण्डेय–वाणिज्य विभाग एवं प्रो0 अजय कुमार श्रीवास्तव– प्राणिविज्ञान विभाग के सम्बन्ध में लिये गये निर्णयानुसार महामहिम कुलाधिपति महोदय के विशेष कार्याधिकारी (विधि) के पत्र सं0 393/जी0एस0/ 7–जी0एस0 (68)/2012 दिनांक 14.01.2013 में दिये गये निर्देशानुसार गठित अनुशासनिक समिति को आख्या को यथावत् स्वीकार किया।
47.	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक : 03.02.2013 के बिन्दु संख्या 83 (3) द्वारा डॉ0 जे0ए0वी0प्रसादा राव, उपाचार्य–जैव प्रौद्योगिकी विभाग के विरूद्ध गठित अनुशासनिक समिति की आख्या पर विचार। कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक : 03.02.2013 के बिन्दु संख्या 83 (3) द्वारा डॉ0 जे0ए0वी0प्रसादा राव, उपाचार्य–जैव प्रौद्योगिकी विभाग के विरूद्ध गठित अनुशासनिक समिति की आख्या पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि अनुशासनिक समिति की रिपोर्ट को डॉ0 राव को उपलब्ध कराते हुए उनसे सापेक्ष उनका लिखित पक्ष 15 दिन के अन्दर प्राप्त कर लिया जाय तथा तदोपरान्त परिषद् द्वारा उनकी व्यक्तिगत सुनवाई कर अग्रेतर निर्णय लिया जायेगा।
48.	प्रो0 एन0के0एम0 त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आचार्य–मनोविज्ञान विभाग के विरूद्ध कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 21.06.2010 के संकल्प संख्या–1 द्वारा गठित अनुशासनिक समिति की आख्या पर विचार। कार्य परिषद् प्रो0 एन0के0एम0 त्रिपाठी, सेवानिवृत्त आचार्य–मनोविज्ञान विभाग के विरूद्ध कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 21.06.2010 के संकल्प

	संख्या–1 द्वारा गठित अनुशासनिक समिति की आख्या को यथावत् स्वीकार करते हुए निर्णय लिया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.07.2014 के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
49.	प्रो0 राम बरन पटेल, आचार्य–भूगोल विभाग के विरूद्ध गठित अनुशासनिक समिति की आख्या पर विचार। कार्य परिषद् प्रो0 राम बरन पटेल, आचार्य–भूगोल विभाग के विरूद्ध गठित अनुशासनिक समिति की आख्या पर निर्णय लिया गया कि अनुशासनिक समिति द्वारा की गयी अनुशंसा को प्रकरण के Trivial Nature का होने के कारण चेतावनी देते हुए उसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
50.	सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, गोरखपुर के पत्र सं0 4275(1)/पंजी0/गोरखपुर/2013–14 दिनांक 09 जनवरी, 2014 जो Gorakhpur University Women Welfare Association, Deen Dayal Upadhyaya University, Gorakhpur के पंजीकरण के सम्बन्ध में है, पर विचार। कार्य परिषद् प्रस्तुत सूचना से अवगत हुई।
51.	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों के विज्ञापन की सूचना से अवगत होना। कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों के विज्ञापन की सूचना से अवगत हुई तथा इस प्रकरण पर प्रो0 सुरेन्द्र दुबे ने कहा कि आचार्य का एक पद हिन्दी विभाग में प्रकाशित नहीं है, यह पद पत्रकारिता (बी0जे0) का है। अतः इसका भी नियमानुसार विज्ञापन किया जाय।
52.	डॉ0 वी0एन0 पाण्डेय, उपाचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय को आदेश संख्या 2297/सा0प्र0/2013 दिनांक 19.03.2013, जो शोध सहायक के रूप में की गयी सेवा विश्वविद्यालय अधिनियम 2(19) एवं परिनियम 10.02 के अन्तर्गत शिक्षक कार्य के रूप में आगणित करते हुए दिनांक 20.11.1987 से प्रवक्ता पद नाम दिये जाने सम्बन्धी है, से अवगत होना। कार्य परिषद् ने इस मद पर मद संख्या 76 के उपमद–05 के साथ विचार विमर्श किया। रिसर्च एशोसिएट के रूप में की गयी सेवाओं को कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत जोड़ने का प्रकरण नीतिगत होने के दृष्टिगत समिति ने सम्पूर्ण प्रकरण का अध्ययन कर मत स्थिरत करने हेतु आख्याा देने के लिए निम्नलिखित की एक समिति गठित की– 1. डॉ0 यू0पी0 सिंह– पूर्व कुलपति– सदस्य कार्य परिषद 2. डॉ0 सुरेन्द्र दुबे, अधिष्ठाता कला संकाय 3. डॉ0 सतीश कुमार, कार्य परिषद् सदस्य
53.	डॉ0 गिरिजा शंकर तिवारी, आचार्य– विधि विभाग को हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर,

	मध्य प्रदेश में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो जाने के फलस्वरूप [illegible] अवकाश दिनांक 16 जुलाई 2013 से दो वर्ष [illegible] स्वीकृत करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
54.	डॉ0 काली चरण पाण्डेय उपाचार्य दर्शन शास्त्र विभाग जो वर्तमान में लखनऊ विश्वविद्यालय में उपाचार्य पद पर कार्यरत हैं तथा इस विश्वविद्यालय से दिनांक 01.10. 2010 से दिनांक 31.10.2013 तक स्वीकृत अवैतनिक असाधारण अवकाश पर हैं के संदर्भ में कुलपति जी के आदेश दिनांक 29.07.2013 से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
55.	डॉ0 कालीचरण, उपाचार्य–दर्शनशास्त्र विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के दिनांक 01.11.2010 से त्याग पत्र सम्बन्धी आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2013 पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
56.	डॉ0 यशवन्त सिंह, उपाचार्य– वनस्पति विज्ञान विभाग, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर को पत्रांक दी0द0उ0गो0वि0वि0(सा0प्र0) / 2013 / 3016 दिनांक 14.09.2013 द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा 13 की उपधारा 06 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बन के अनुमोदन की स्वीकृति एवं इस प्रकरण से सम्बन्धी गठित समिति की रिपोर्ट तथा कार्यालय ज्ञाप सं0 : दीदउगोविवि/ सा0प्र0 / 2014 / 3569 दिनांक : 10.03.2014 द्वारा निलम्बन विखण्डित करने सम्बन्धी आदेश पर विचार। **कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।**
57.	डॉ0 मुनेश कुमार, प्रवक्ता. शिक्षा शास्त्र विभाग को दिनांक 25.05.2010 से दिनांक 24.05 2013 तक तीन वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश के उपरान्त उनके कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में दिनांक 25.05.2013 से उनकी सेवा समाप्त करने की स्वीकृति प विचार। **कार्य परिषद् डॉ0 मुनेश कुमार, प्रवक्ता. शिक्षा शास्त्र विभाग को दिनांक 25.05. 2010 से दिनांक 24.05.2013 तक तीन वर्ष के असाधारण अवैतनिक अवकाश के उपरान्त उनके कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में दिनांक 25.05.2013 से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से उनकी सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**
58.	डॉ0 गोपाल प्रसाद, उपाचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग को हरीसिंह गौर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश के स्कूल आफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोसल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो जाने के फलस्वरुप एक वर्ष का असाधारण

	अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करने कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
59.	डॉ0 नन्दिता सिंह, आचार्य, अंग्रेजी विभाग के दिनांक 10.08.2013 से 07.10.2013 तक कुल 59 दिन का चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति पर विचार। कार्य परिषद् ने डॉ0 नन्दिता सिंह, आचार्य, अंग्रेजी विभाग के दिनांक 10.08.2013 से 07.10.2013 तक कुल 59 दिन का चिकित्सा अवकाश की स्वीकृत किया।
60.	डॉ0 नरेन्द्र कुमार राना, प्रवक्ता–वरिष्ठ वेतनमान भूगोल विभाग को भारतीय सूदूर संवेदन संस्थान, देहरादून (आई आई आर एस) में पी0जी0 डिप्लोमा कोर्स में दिनांक 19.08.2013 से 20.06.2014 तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिऐ कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 19.08.2013 से 20.06.2014 तक अध्ययन अवकाश अवकाश की स्वीकृत करने पर विचार। कार्य परिषद् ने डॉ0 नरेन्द्र कुमार राना, प्रवक्ता–वरिष्ठ वेतनमान, भूगोल विभाग को भारतीय सूदूर संवेदन संस्थान, देहरादून (आई आई आर एस) में पी0जी0 डिप्लोमा कोर्स में दिनांक 19.08.2013 से 20.06.2014 तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिऐ कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में दिनांक 19.08.2013 से 20.06.2014 तक अध्ययन अवकाश अवकाश स्वीकृत किया।
61.	डॉ0 रेखा चतुर्वेदी, आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग के दिनांक 22.02.2013 से दिनांक 20.04.2013 तक कुल 59 दिन के चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति पर विचार करना। कार्य परिषद् ने डॉ0 रेखा चतुर्वेदी, आचार्य, प्राचीन इतिहास विभाग के दिनांक 22.02.2013 से दिनांक 20.04.2013 तक कुल 59 दिन के चिकित्सा अवकाश की स्वीकृत किया।
62.	डॉ0 (श्रीमती) सरिता पाण्डेय, उपाचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग के दिनाक 11.03.2013 से दिनांक 10.05.2013 कुल 61 दिन के चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति पर विचार करना। कार्य परिषद् ने डॉ0 (श्रीमती) सरिता पाण्डेय, उपाचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग के दिनांक 11.03.2013 से दिनांक 10.05.2013 कुल 61 दिन के चिकित्सा अवकाश की स्वीकृत किया।
63.	डॉ0(श्रीमती) सरिता पाण्डेय, उपाचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग के संबंध में गठित वरिष्ठता समिति द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 02.01.2013 के विरुद्ध परिनियम 18.09(3) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार। कार्य परिषद् ने निर्देश दिया कि प्रकरण का निस्तारण प्रशासनिक स्तर पर नियमानुसार परीक्षणोपरान्त किया जाय।

64	श्री प्रकाश चन्द्र शुक्ल सूचीकार केन्द्रीय ग्रन्थालय का त्याग पत्र दिनांक 17.03.2008 से स्वीकार करने सम्बन्धी आदेश सं0 : 3256 सा0प्र0 2013 दिनांक 05.12.2013 से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
65.	कार्यालय आदेश सं0 3323/सा0प्र0/2013 दिनांक 30.12.2013 जो प्रो0 राधेश्याम श्रीवास्तव, आचार्य–गणित एवं संख्यिकी विभाग की अधिवर्षित आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रो0 रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, आचार्य– गणित एवं संख्यिकी विभाग को दिनांक 01.01.2014 से अध्यक्ष– गणित एवं संख्यिकी विभाग के नियुक्ति सम्बन्धी है, से अवगत होना । कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
66.	डॉ0 शफीक अहमद, उपाचार्य–समाज शास्त्र विभाग एवं डॉ0 विमलेश कुमार मिश्र, उपाचार्य हिन्दी विभाग को छात्रावास नियमावली के नियम 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पुनः आगामी एक वर्ष के लिये अधीक्षक संत कबीर छात्रावास नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
67.	डॉ0 जितेन्द्र मिश्र, उपाचार्य विधि विभाग एवं डॉ0 अहमद नसीम,उपाचार्य विधि विभाग को छात्रावास नियमावली के नियम 3.03 के अन्तर्गत कार्यपरिषद से स्वीकृति की प्रत्याशा में वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तिथि से पुनः आगामी एक वर्ष के लिये अधीक्षक, स्वामी विवेकानन्द छात्रावास नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
68.	पत्रांक सं0 : 3184/अ0आ0स0/सा0प्र0/2013 दिनांक 20.11.2013 आवास आवंटन समिति की बैठक दिनांक 09.10.2013 के बिन्दु संख्या–15 से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने पत्रांक सं0 : 3184/अ0आ0स0/सा0प्र0/2013 दिनांक 20.11.2013 आवास आवंटन समिति की बैठक दिनांक 09.10.2013 के बिन्दु संख्या–15 से अवगत हुई तथा निर्णय लिया कि आवास आवंटन समिति में कुलपति के स्थान पर समिति में नामित अधिष्ठाताओं में से वरिष्ठतम् अधिष्ठाता आवास आवंटन समिति का अध्यक्ष होगा, जिसका मनोनयन कुलपति द्वारा किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं तथा उनके ही आवास आवंटन समिति के अध्यक्ष रहने पर किसी को अपील करने का त्वरित अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। कुलपति आवास आवंटन के सम्बन्ध में समिति के निर्णय के सापेक्ष अपीलीय अधिकारी होंगे। कार्य परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि आवास आवंटन समिति में कुलसचिव को सदस्य–सचिव के रूप में सम्मिलित किया जाय तथा सम्बन्धित अध्यादेश में

	यथास्थान आवश्यक संशोधन कर लिया जाय।
69.	डॉ0 (श्रीमती) रेखा चतुर्वेदी, आचार्य–प्रा0 इतिहास विभाग के आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2014 को परिनियम 18.09(3) के अन्तर्गत वरिष्ठता समिति के निर्णय के विरुद्ध कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी है पर विचार। कार्य परिषद ने डॉ0 (श्रीमती) रेखा चतुर्वेदी, आचार्य– प्राचीन इतिहास विभाग को व्यक्तिगत रूप से सुना तथा निर्णय लिया कि डॉ0 राजवन्त राव, आचार्य–प्राचीन इतिहास विभाग डॉ0 (श्रीमती) रेखा चतुर्वेदी से वरिष्ठ हैं। इस निर्णय पर कुलपति जी/अध्यक्ष, कार्य परिषद ने असहमति व्यक्त की।
70.	प्रो0ईश्वर शरण विश्वकर्मा, प्राचीन इतिहास पुरात्तव एवं संस्कृति विभाग का पत्र दिनांक 15.02.2014 द्वारा वरिष्ठता संबंधी विसंगति के निस्तारण हेतु गठित वरिष्ठता समिति के निर्णय के विरुद्ध गोरखपुर विश्वविद्यालय की परिनियमावली की धारा 18.09(3) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के संबंध में विचार । कार्य परिषद ने डॉ0 ईश्वर शरण विश्वकर्मा, आचार्य– प्राचीन इतिहास विभाग को व्यक्तिगत रूप से सुना तथा निर्णय लिया कि डॉ0 राजवन्त राव, आचार्य–प्राचीन इतिहास विभाग डॉ0 ईश्वर शरण विश्वकर्मा से वरिष्ठ हैं। इस निर्णय पर कुलपति जी/अध्यक्ष, कार्य परिषद ने असहमति व्यक्त की।
71.	पत्रांक संख्या : 3587/सा0प्र0/2014 दिनांक 13.03.2014 जो डॉ0 उदय सिंह, सहायक आचार्य–शिक्षाशास्त्र विभाग, डॉ0 ए0के0 दीक्षित, प्रसार समन्वयक, प्रौढ सत्त एवं प्रसार शिक्षा विभाग एवं डॉ0 ए0के0 यादव, सहयुक्त आचार्य, वाणिज्य विभाग को संत कबीर छात्रावास का अधीक्षक नियुक्त करने सम्बन्धी है, से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार । कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
72.	विभागीय क्रय समितियों में वित्त के प्रतिनिधि को सम्मिलित किये जाने विषयक कुलपति जी के आदेश की सूचना एवं अनुमोदन। कार्य परिषद् ने क्रय समिति एवं विभागीय क्रय समितियों में वित्त विभाग के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में आमंत्रित किये जाने विषयक कुलपति जी के आदेश दिनांक 24.03.2014 से अवगत हुई एवं स्वीकृति प्रदान की।
73.	पत्रांक संख्या 3653/सा0प्र0/छात्रा/2014 दिनांक 04.04.2014 द्वारा प्रो0 सुनित्रा सिंह, आचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग को अलकनन्दा छात्रावास की अभिरक्षिका नियुक्त करने संबंधी है से अवगत होना एवं स्वीकृति प्रदान करने पर विचार। कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।
74.	विभिन्न विभागों के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त चक्रानुक्रम व्यवस्था में नये विभागाध्यक्षों की नियुक्ति सम्बन्धी कार्यालय ज्ञान सं0 3897/सा0प्र0/2014 दिनांक

24.06.2014 के अवकाश हेतु तथा स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना

कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए उसका अनुमोदन किया।

75. उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26 (1) (डी) में दिये गये प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के वित्त समिति में एक सदस्य नामित करने पर विचार।

सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद् ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26 (1) (डी) में दिये गये प्रावधान के अनुसार प्रो0 सतीश कुमार, प्रोफेसर–राजनीतिशास्त्र विभाग एवं निदेशक– नेहरू स्टडी सेण्टर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को वित्त समिति में कार्य परिषद् के नामिनी के रूप में इलेक्ट किया।

76. कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 28.05.2014 के स्थगित बिन्दुओं पर विचार।

1. परीक्षा समिति के अध्यादेश में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 16–क के प्राविधानों के दृष्टिगत परीक्षा नियंत्रक को पदेन सचिव तथा कुलसचिव को परीक्षा समिति में सदस्य के रुप में सम्मिलित करने हेतु सम्बन्धित अध्यादेश में संशोधन के विषय में निर्णय लेना।

कार्य परिषद् ने परीक्षा समिति के अध्यादेश में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 16–क के प्रावधानों के दृष्टिगत परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा समिति में पदेन सचिव तथा कुलसचिव को परीक्षा समिति में पदेन सदस्य के रुप में सम्मिलित करने हेतु सम्बन्धित अध्यादेश में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की।

2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्रांक संख्या 434(1)/सत्तर –4–2014 दिनांक 17 अप्रैल, 2014 के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रौढ़ सत्त एवं प्रसार शिक्षा विभाग में कार्यरत निदेशक, सहायक निदेशक एवं परियोजनाधिकारी की अधिवर्षिता आयु के प्रकरण पर विचार।

कार्य परिषद् ने विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्रांक संख्या 434(1)/सत्तर–4–2014 दिनांक 17 अप्रैल, 2014 पर विचार किया, जिसमें यह अंकन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत वर्ष 1988, वर्ष 2004 एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना की मार्ग निर्देशिका में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट आफिसर को प्रोफेसर, रीडर एवं लेक्चचर तथा आगे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर माना गया है तथा इनके समस्त लाभ विश्वविद्यालय के अन्य विभागों के आचार्य, उपाचार्य, प्रवक्ता/प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की भाँति होंगे। कार्य परिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 2(19) जिसमें ''अध्यापक'' को परिभाषित किया गया है, पर भी विचार

		किया। सम्यक् विचारोपरान्त कार्य परिषद ने प्रौढ़ शिक्षा में स्वीकृत निदेशक, सहायक निदेशक तथा परियोजना अधिकारी को शैक्षिक संवर्ग में माना तथा शिक्षकों के सदृश उन्हें अधिवर्षिता आयु का लाभ स्वीकृत किये जाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित करते हुए निर्देश दिया कि उक्त आशय का प्रावधान यथास्थान परिनियमों में भी कर लिया जाय।
	3.	डॉ0 अभय कुमार जैन, सेवा निवृत्त आचार्य, रसायनशास्त्र विभाग को कैरियर एडवान्समेन्ट योजना संबंधी निर्गत परिनियम दिनांक 19.04.2010 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार डॉ0 जैन के आचार्य पद की अर्हता तिथि दिनांक 17.10.1998 से पुनर्निधारित किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या–206/सत्तर–1–2011–14(12)/07, दिनांक 23 मई, 2011 पर विचार। कार्य परिषद ने इस मद पर विचार प्रारम्भ करते हुए निर्णय लिया कि सर्वप्रथम पृथक मद के रूप में शासनादेश संख्या–206/सत्तर–1–2011–14(12)/07, दिनांक 23 मई, 2011 पर विचार किया जाय। तद्नुसार कार्य परिषद ने सर्वप्रथम उक्त सन्दर्भित शासनादेश से आच्छादित प्रकरण पर पृथक मद के रूप में विचार किया, जिसका निर्णय कार्यवाही के आगामी प्रस्तरों में अंकित है। विषयाधीन प्रकरण में परिषद ने डॉ0 अभय कुमार जैन को परिनियम/शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
	4.	श्री सत्य प्रकाश उपाध्याय, प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सेन्टर, दी0द0उ0 गो0वि0वि0, गोरखपुर द्वारा प्रोग्रामर पद (कम्प्यूटर सेन्टर) से दिनांक 29.08.2012 से त्यागपत्र स्वीकार किये जाने सम्बन्धी कुलपति जी के आदेश पर विचार। कार्य परिषद ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए त्यागपत्र का अनुमोदन किया।
	5.	डॉ0 परमहंस पाठक, सहयुक्त आचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) प्राणि विभाग को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08.08.2013 के संकल्प संख्या– 1(क)(11) के द्वारा उपाचार्य पद नाम एवं वेतन अर्हता तिथि से दिये जाने की स्वीकृति के उपरान्त कैरियर एडवांसमेन्ट योजना में प्रोन्नति के समय रिसर्च एसोसिएट के रूप में की गई सेवा का लाभ दिए जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0–402/सत्तर–1–2071–15(72)/2005, दिनांक 04.05.2011 में प्रावधानित व्यवस्था में डॉ0 परमहंस पाठक के द्वारा रिसर्च एसोसिएट के रूप में की गई सेवा का लाभ सहयुक्त आचार्य पद पर हुई प्रोन्नति में प्रदान करते हुए डॉ0 पाठक की सहयुक्त आचार्य की अर्हता तिथि (निश्चित तिथि) दिनांक 29.06.2010 निर्धारित किये जाने पर विचार। प्रकरण में मद संख्या–52 पर निर्णय लिया गया है।
	6.	डॉ0 उमेश यादव, सहयुक्त आचार्य, भौतिकी विभाग को दिनांक 01 जुलाई, 2014 से 30 जून 2015 तक रमन फेलोशिप फार पोस्ट डाक्टोरल रिसर्च फार इण्डियन स्कालर्स यूनाइटेड स्टेट एवारडेड फार दी इअर 2014–15 के अन्तर्गत Structural

		Generatics of anaeropic pathogens विषय पर कार्य करने के लिये अवकाश स्वीकृत करने पर विचार (टिप्पणी संलग्न)। कार्य परिषद् ने डॉ0 उमेश यादव, सहयुक्त आचार्य, भौतिकी विभाग को दिनांक 01 जुलाई 2014 से 30 जून 2015 तक रमन फेलोशिप फार पोस्ट डाक्टोरल रिसर्च फार इण्डियन स्कालर्स यूनाइटेड स्टेट एवारडेड फार दी इअर 2014–15 के अन्तर्गत structural Generatics of anaeropic pathogens विषय पर कार्य करने के लिये अवकाश स्वीकृत करते हुए कहा कि डॉ0 यादव को रमन फेलोशिप प्राप्त होने पर कार्य परिषद् की तरफ से बधाई पत्र भेजा जाय।
	7.	यू0जी0सी0 के पत्र संख्या एफ–1–5/83(एसए–II) दिनांक 13 सितम्बर 2010 के आधार पर डॉ0 आर0पी0 ओझा, रिसर्च साइन्टिस्ट, भौतिकी विभाग की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष करने के संबंध में विचार। कार्य परिषद् ने यू0जी0सी0 के पत्र संख्या एफ–1–5/83(एसए–II) दिनांक 13 सितम्बर 2010 पर निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तीय भार वहन करने की शर्त पर डॉ0 आर0पी0 ओझा, रिसर्च साइन्टिस्ट, भौतिकी विभाग की अधिवर्षिता आयु 65 वर्ष माने जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय। परिषद ने स्पष्ट निर्देश दिये कि उक्त कार्यवाही से उत्तर प्रदेश शासन अथवा विश्वविद्यालय पर कोई वित्तीय बोझ किसी रूप में नही आना सुनिश्चित करके ही अग्रिम कार्यवाही की जाय।
	8.	डॉ0 उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी, प्रवक्ता–कम्प्यूटर साइंस विभाग के विरूद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना–कैण्ट, गोरखपुर में दर्ज की गयी प्राथमिकी निरस्त करने के सम्बन्ध में विचार। कार्य परिषद् ने डॉ0 उपेन्द्र नाथ त्रिपाठी के विषयगत प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया।
77.		बाबू बैजनाथ सिंह कन्या महाविद्यालय, देवढी, अडिला, देवरिया के प्रबन्धक द्वारा स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं के अनुमोदन हेतु फर्जी चयन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने पर विचार। कार्य परिषद् ने बाबू बैजनाथ सिंह कन्या महाविद्यालय, देवढी, अडिला, देवरिया के प्रबन्धक द्वारा स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं के अनुमोदन हेतु फर्जी चयन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही के प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त सम्बन्धित महाविद्यालय पर रूपये दो लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया।
78.		जय बहादुर शाही (जे0बी0एस0) महाविद्यालय, भिंगारी बाजार, देवरिया के स्नातक स्तर प

वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0कम0 पाठ्यक्रम के लिए जमा सम्बद्धता शुल्क रू0 60,000–00 को स्नातक शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम के सम्बद्धता शुल्क में समायोजित करने के सम्बन्ध में विचार।

कार्य परिषद् ने जय बहादुर शाही (जे0बी0एस0) महाविद्यालय, भिंगारी बाजार, देवरिया के स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रम के लिए जमा सम्बद्धता शुल्क रू0 60,000–00 को स्नातक शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम के सम्बद्धता शुल्क में समायोजित करने की अनुमति प्रदान की।

79. शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के उनके नियत तिथि को सेवानिवृत्त न करके मास के अन्तिम तिथि को सेवा निवृत्त किये जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0 जी–2–605/दस–534(19) 57 दिनांक 27 जून, 2002 पर विचार।

कार्य परिषद् ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के उनके नियत तिथि को सेवानिवृत्त न करके मास के अन्तिम तिथि को सेवा निवृत्त किये जाने सम्बन्धी शासनादेश सं0 जी–2–605/दस–534(19) 57 दिनांक 27 जून, 2002 पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि शासनादेश में दिये गये प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाय।

80. बैंक एवं अंक सुधार की जो परीक्षायें मुख्य परीक्षा के होती थीं, उन्हें सितम्बर– अक्टूबर माह में कराने पर विचार।

कार्य परिषद् ने बैंक एवं अंक सुधार की जो परीक्षायें मुख्य परीक्षा के होती थीं, उन्हें प्रत्येक वर्ष सितम्बर– अक्टूबर माह में कराने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की।

81. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) की धारा 37(2) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई पूर्वानुमति के दृष्टिगत कार्य परिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशोपरान्त सम्बद्धता प्रदान करने विषयक आदेशों की पुष्टि करना (सूची संलग्न)।

कार्य परिषद् ने प्रस्तुत सूचना से अवगत होते हुए अनुमोदन किया।

82. अध्यक्ष की अनुमति से निम्नलिखित मदों पर विचार किया गया–

क. कार्य परिषद ने शासनादेश संख्या 206/सत्तर–1– 2011–14(12)/07 दिनांक 23 मई, 2011 पर विचार किया।

कार्य परिषद ने मत व्यक्त किया कि 23 मई, 2011 के पत्र को शासनादेश की सज्ञा दिया जाना उचित नहीं है, यह शासन का पत्र है। परिषद इस तथ्य से अवगत हुई कि इस पत्र के सम्बन्ध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 12.06.2011 को अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मद (41–ग) से परिषद के संज्ञान में लाया गया था तत्पश्चात् तत्कालीन कुलपति के द्वारा पत्र संख्या : 172 दिनांक 18.07.2011 से शासन के पत्र दिनांक 23 मई, 2011 में

सन्दर्भित प्रकरण पर समस्त [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
पुनर्विचार के आशय का अनुरोध सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश से किया गया। प्रकरण पुनः कार्य परिषद की दिनांक 12.12.2011 की बैठक में मद संख्या 2 के अन्तर्गत दिनांक 12.06.2011 को बैठक में लिये गये निर्णय के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन के अन्तर्गत उठाया गया। जिसमें दिनांक 12.06.2011 की बैठक के बिन्दु 41 (ग) पर उल्लिखित कार्यवाही में संशोधन करते हुए यह अंकन निर्देशित किया गया कि "बिन्दु संख्या 41(ग) पर उल्लिखित कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, **के स्थान पर** शासन से जांच आख्या मांगी गयी है। आख्या प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी, **पढ़ा जाय**।" परिषद इस तथ्य से भी अवगत हुई कि तत्कालीन कुलपति के द्वारा पत्रांक संख्या 182 दिनांक 01.08.2011 से विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ से विश्वविद्यालय के 40 उपाचार्यों के आचार्य पद पर की गई प्रोन्नति की श्री पी0के0महन्ती, तत्कालीन आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर द्वारा की गयी जांच की आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि शासन के पत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सके। उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र दिनांक 23 मई, 2011 के साथ तथा शासन के पत्र संख्या 862 दिनांक 27 जुलाई, 2011 के साथ, जो कि कुलपति, विश्वविद्यालय को सम्बोधित है कोई जांच आख्या शासन द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं की गयी। कार्य परिषद के सदस्यों ने याचिका संख्या 62889/2005 डॉ0 ए0पी0शुक्ला, रक्षा अध्ययन विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर व अन्य बनाम कुलाधिपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 26.09.2005 जो डॉ0 आर0एन0सिंह से सम्बन्धित है, को भी उद्धृत किया गया तथा कहा गया कि अभ्यर्थी की प्रोन्नति के लिए मेरिट व उपयुक्तता के आंकलन की सर्वोच्च प्राधिकारिता चयन समिति की है। इसी आशय के मा0 कुलाधिपति के निर्णय को भी कार्य परिषद के सदस्यों द्वारा उद्धृत किया गया। विचार–विमर्श में यह बिन्दु भी आया कि कोई भी शासनादेश परिनियमावली में सम्मिलित किये जाने के उपरान्त ही प्रभावी हो सकता है। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 66 का भी उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार "वाद के गुणावगुण को प्रभावित न करते हुए प्रक्रिया में किसी अनियमितता के कारण विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति के किसी कार्य या कार्यवाही को अवैध नहीं ठहराया जा सकता है।" उपरोक्त विवेचना के आधार पर कार्य परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि जांच आख्या के अभाव में दिनांक 23 मई, 2011 की शासन के पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 पर उल्लिखित निर्णयों को जो कार्य परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किये गये हैं अनुमोदित नहीं किया जा सकता। यह भी निर्णय लिया गया कि कार्य परिषद् के निर्णय की सूचना माननीय कुलाधिपति महोदय तथा शासन को भी भेज दी जाय। सदस्यों ने यह भी मत व्यक्त किया कि कुलाधिपति कार्यालय/शासन से कोई जिज्ञासा की जाती है अथवा जाँच आख्या प्राप्त होती है तो कार्य परिषद् तदनुसार विचार करेगी।

ख. मा0 कार्य परिषद सदस्य श्री जगदम्बिका पाल, माननीय सांसद, डुमरियागंज ने अवगत कराया कि माननीय सांसद, गोरखपुर माननीय श्री योगी आदित्य नाथ के

	ने एवं उनके द्वारा स्वयं भी मानव संसाधन विकास मन्त्री जी, भारत सरकार से मिलकर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर माननीय मन्त्री महोदय ने गोरखपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने का आश्वासन दिया। माननीय सांसद श्री जगदम्बिका पाल ने यह भी सूचित किया कि कार्य परिषद द्वारा इस आशय का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मन्त्री, भारत सरकार, कुलाधिपति महोदय एवं उत्तर प्रदेश शासन को भी प्रेषित कर दिया जाय। इस प्रकरण पर कार्य परिषद के सभी सदस्यों ने माननीय सांसद द्वय के प्रति आभार ज्ञापित किया।
ग.	प्रो0 यू0पी0 सिंह, माननीय कार्य परिषद् सदस्य ने प्रो0 एच0एस0शुक्ल, आचार्य–गणित एवं सांख्यिकी विभाग के वेतन संरक्षण का प्रकरण उठाते हुए अनुरोध किया कि प्रो0 शुक्ल का वेतन संरक्षण किया जाय जिसे कार्य परिषद् ने सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए नियमानुसार वेतन संरक्षण हेतु प्रस्ताव शासन को कार्य परिषद की संस्तुति सहित संदर्भित करने का निर्णय लिया।
	अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(एस0के0शुक्ल)
कुलसचिव एवं सचिव–कार्य परिषद्

(प्रो0 अशोक कुमार)
कुलपति एवं अध्यक्ष–कार्य परिषद

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक दिनॉक 30.08.2014 की कार्यवृत्त

समय : अपराह्न 3–30 बजे
स्थान : कमेटी हाल

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति / अध्यक्ष
2.	प्रो0 सुरेन्द्र दूबे	सदस्य
3.	प्रो0 एम0सी0गुप्ता	सदस्य
4.	प्रो0 फिरतू राम	सदस्य
5.	प्रो0 जनार्दन	सदस्य
6.	डॉ0(श्रीमती) सुनीता मुर्मू	सदस्य
7.	डॉ0 रुसीराम महानन्दा	सदस्य
8.	डॉ0 अजय सिंह	सदस्य
9.	डॉ0 कमलेश कुमार गौतम	सदस्य
10.	प्रो0 यू0पी0 सिंह	सदस्य
11.	डॉ0 रामहित त्रिपाठी	सदस्य
12.	डॉ0 हरेश प्रताप सिंह	सदस्य
13.	श्री अशोक कुमार अरविन्द	सचिव
14.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	विशेष आमंत्रित
15.	प्रो0 ए0पी0 शुक्ला	विशेष आमंत्रित

बैठक में वित्त अधिकारी श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे ।

बैठक के प्रारम्भ में कुलपति जी ने कार्यपरिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया तथा नये कुलसचिव जी का समस्त सदस्यों से परिचय कराया। तत्पश्चात् बैठक में कार्यसूची पर विचार किया गया –

विन्दु नं0 1 –पैसिफिक कालेज ऑफ फिजियोथेरेपी, गोरखपुर के प्रकरण पर राजभवन से प्राप्त पत्र एवं छात्रों की माँग के क्रम में विद्यार्थियों की समस्याओं के सम्बन्ध में गठित जाँच समिति की संस्तुतियों पर विचार।

निर्णय : परिषद ने विस्तृत विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिए –

(क) बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) / बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) पाठ्यक्रम एवं अन्य समस्त पैरा मेडिकल कोर्सेज, फिजियोथिरेपी सहित उ0प्र0 राज्य चिकित्सा संकाय (U.P. State Medical Faculty) के नियमों / प्रावधानो के अन्तर्गत चिकित्सा संकाय में

परिचालित किया जाय। इस पाठ्यक्रम का पाठ्यक्रम समिति (B.O.S.) इसी संकाय में गठित किया जाय। इस क्रम में राजभवन से प्राप्त परिनियम में आवश्यक संशोधन करा लिया जाय।

(ख) बी0एस–सी0 (पैथालॉजी)/बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) पाठ्क्रम एवं फिजियोथिरेपी पाठ्यक्रम में सत्र 2012–13 तक प्रवेशित छात्रों की परीक्षा करा ली जाय। इस सन्दर्भ में माननीय कुलपति जी ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन को इस सन्दर्भ में पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

(ग) सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश सं0–4447/71–3–05/141/96/05 दिनांक 14.10.2005 के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार पाठ्यक्रम के अध्यादेश (Ordinance) में बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) चार वर्षीय पाठ्यक्रम रखा गया है, जिसमें 3 वर्ष Academic Calander एवं चतुर्थ वर्ष में लघुशोध (Dissertation) एवं छः माह का Internship शामिल है। चतुर्थ वर्ष में ग्रैन्ड वाइवा (Grand Viva) एवं Practical का प्रावधान अध्यादेश में नहीं है, लेकिन महाविद्यालय ने तीन वर्षीय एकेडेमिक कलेण्डर, चतुर्थ वर्ष में लघु शोध एवं ग्रैण्ड वाइवा व प्रेक्टिकल रखे हैं। अतः सदन ने यह निर्णय लिया कि अब चतुर्थ वर्ष से Grand Viva एवं Practical हटा लिये जाये एवं जिनका Grand Viva एवं Practical हो चुके हैं एवं मार्कशीट जारी नहीं है उनके चतुर्थ वर्ष की मार्कशीट में इनके मार्क्स न जोड़े जायँ।

वर्तमान में प्रचलित अध्यादेश के निहित प्रावधानों के अनुसार चार वर्ष पूर्ण होने की दशा में ही डिग्री प्रदान की जा सकती है। साथ ही किसी पाठ्यक्रम के मध्य में पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय प्रचलित अध्यादेश में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसा कि जॉच समिति ने प्रस्तावित किया है, सदन ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। साथ ही आगे संचालित होने वाले पाठ्यक्रम का अध्यादेश उ0प्र0 राज्य चिकित्सा संकाय के द्वारा जारी नियमों के तहत बनवा कर ही अग्रेत्तर पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाय।

(घ) बी0एस–सी0 पैथालॉजी एवं बी0एस–सी0 एम0एल0टी एक ही पाठ्यक्रम है। इस आशय का पत्र उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा जारी किया गया है तथा निदेश दिया गया कि छात्रों को डिग्री बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) कर दिया

जाय। चूँकि यू0जी0सी0 ने बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) का नाम बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) रखा गया है। अतः स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने उक्त नाम से डिग्री दिये जाने हेतु अधिकृत किया है। एतद्विषयक अध्यादेश 2013–14 से लागू है, ऐसी स्थिति में बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) डिग्री वर्ष 2013–14 से प्रवेशित छात्रों हेतु लागू मानी जायेगी, लेकिन पूर्व प्रवेशित छात्रों के बी0एस–सी0 (पैथालॉजी) पाठ्यक्रम के आगे स्टार (*) लगाकर शासनादेश इंगित कर दोनों डिग्रियों की समानता स्पष्ट कर दिया जाय।

(च) विश्वविद्यालय द्वारा बी0एस–सी0 पैथालॉजी हेतु बनाया गया अध्यादेश दिनांक 08.03.2007, जिसके फीस के कालम में उद्धृत है कि "Rs. 35,000/- per year or as per Govt. Norms from time to time." इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव के पत्र सं0–5549/25/08 दिनांक 25.08.2011 द्वारा पैरामेडिकल डिग्री निजी क्षेत्र हेतु रू0 4000/– प्रति माह यानी रू0 48000/– प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है जिसमें भोजन एवं निवास व्यय शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य फीस का उल्लेख नहीं है। महाविद्यालय द्वारा भेजे गये शुल्क विवरण में शिक्षण शुल्क रू0 35,000/– एवं अन्य शुल्क रू0 10,000/– अन्य मदों का उल्लेख करते हुए नये शासनादेश आने तक छात्रों से अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। महाविद्यालय द्वारा शुल्क ढाँचे (Fee-structure) में किसी भी तरह के परिवर्तन को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।

पैसिफिक कालेज आफ फिजियोथिरेपी, गोरखपुर ने शुल्क वृद्धि के लिए विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया, अतः सत्र 2012–13 के पूर्व ली गई अतिरिक्त फीस को छात्रों को वापस करने हेतु महाविद्यालय को आदेशित किया जाय।

(छ) **(i)** विश्वविद्यालय द्वारा बी0एस–सी0 (पैथालॉजी)/बी0एस–सी0 (एम0एल0टी0) के निर्गत अंकपत्रों पर अंकित भिन्न–भिन्न नामांकन संख्या के सम्बन्ध में अंकपत्रों को परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में जमाकर संशोधित नामांकन वाले अंकपत्र दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

(ii) व्यक्तिगत रूप से किसी छात्र के अंकपत्र न प्रदान करने के सम्बन्ध में अपने प्रमाणपत्रों के साथ लिखित आवेदन करने पर नियमानुसार निस्तारण किया जाय।

(iii) अध्यादेश के विपरीत दो पेपर से अधिक पेपर में अनुत्तीर्ण होने पर महाविद्यालय द्वारा परीक्षाफार्म अग्रसारण कर अगली कक्षा की परीक्षा में बैठाने के बाद दिये गये प्रमोशन (अग्रेत्तर कक्षा में) सम्बन्धी प्रकरण पर छात्र द्वारा लिखित आवेदन करने पर ऐसे समस्त प्रकरणों की परीक्षा समिति में रखकर शीघ्र निस्तारित करा लिया जाय।

छात्रों की उपरोक्त तीनों समस्याओं के लिये परीक्षा विभाग में एक पटल सहायक नामित कर दिया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विन्दु –

बिन्दु नं0 1 –सदन ने सर्वसम्मति से ''राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण उन समस्त छात्रों को पुनः एक और मौका **'मर्सी इग्जाम'** के रूप में देने का निर्णय लिया, ताकि छात्र ''राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' प्रश्नपत्र क्लीयर न करने के कारण स्नातक की उपाधि से वंचित न हों। साथ ही परिषद ने यह भी निर्णय लिया कि जहाँ तक सम्भव हो, प्रत्येक छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में ''राष्ट्रगौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' परीक्षा में अवश्य बैठें।

बिन्दु नं0 2 –कुलपति जी द्वारा आज दिनांक 30.08.2014 को आहूत वित्त समिति के निर्णयों से कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को अवगत कराया, जिससे सदन अवगत हुई।

कुलसचिव

कुलपति